राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत छापली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत छापली

प्रकरण सं. – 16/2012 रे0वा0 निर्णय दिनांक –29.06.2015

अनवान

1. श्री धूलसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कानावास छापली तहसील भीम
2. श्री केशरसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कानावास छापली तहसील भीम
3. श्री मालसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कानावास छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री खीमसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी चान्देला की गुआर छापली तहसील भीम
2. श्री सोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी चान्देला की गुआर छापली तहसील भीम
3. श्री डाउसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी चान्देला की गुआर छापली तहसील भीम
4. जमना देवी पिता देवीसिंह पत्नि किशनसिंह जाति रावत निवासी चान्देला की गुआर छापली तहसील भीम
5. श्री नैनुदेवी पिता देवीसिंह पत्नि गणेशसिंह जाति रावत निवासी चान्देला की गुआर छापली हालमुकाम टेगी तहसील देवगढ
6. श्री नारायणसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी कानावास छापली तहसील भीम

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

यह कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम कानावास पटवार हल्का छापली तहसील भीम में खाता संख्या 18 में खसरा संख्या 3431, 3432, 3433, 3436, 9185/3433, 9187/3435 कुल किता 07 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा की कृषि भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 3429, 3430, 3431, 3432 है जिसमें घास उगती है एवं उक्त भूमि में पेड पौधे है एवं उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक लगातार गत 2 वर्षो से नुकसान करते आ रहे है। बरसात के मौसम में जब घास उगती है तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 6 भेड बकरिया मौका देखकर चरा लेते है तथा गत वर्ष भी उन्होने बीडे में मवेशी चराकर घास नष्ट करवा दिया एवं बचाकुचा घास भी धीरे धीरे काट कर ले गये। वादीगण भूमि खातेदार है एवं भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही कब्जा आ रहा है प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नही होते हुए भी वादीगण की भूमि पर दिन प्रतिदिन नुकसान पहुॅचाने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प छापली** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द